

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 137]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 8, 1972/फाल्गुन 18, 1893

No. 137]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 8, 1972/PHALGUNA 18, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 8th March 1972

S.O. 181(E)/18AA/IDRA/72.—Whereas the Central Government is satisfied from the documentary evidence in its possession that the industrial undertaking owned by Somasundaram Mills (Private) Limited at Colmbatore (hereinafter referred as the said undertaking) has been closed for a period of not less than three months and such closure is prejudicial to the concerned scheduled industry, namely, the cotton textile industry and that the financial condition of the company owing the said undertaking and the condition of the plant and machinery of the said undertaking are such that it is possible to re-start the undertaking and such re-starting is necessary in the interests of the general public.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18AA of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby authorises the Tamil Nadu Textile Corporation (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the

whole of the said undertaking at Colmbatore, subject to the following terms and conditions, namely:—

- (i) the authorised person shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;
- (ii) the authorised person shall hold office for a period of five years from the date of publication of this order in the Official Gazette;
- (iii) the Central Government may terminate the appointment of the authorised person earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F.9(10)/Lic.Pol./72.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1972

का० प्रा० 181(अ)/18कक/आई० डी० अर० ए०/72.—यतः केन्द्रीय सरकार का अपने अधिकार में प्रलेखीय साक्ष्य में समाधान हो गया है कि कोयम्बटूर स्थित सोमसुन्दरम् मिम्स (प्रा०) लि० के स्वामित्व में औद्योगिक उपक्रम तीन महीने से अन्यून समय से बंद पड़ा है, कि उसके इस प्रकार बंद होने से संबंधित अनुसूचित उद्योग अर्थात् सूती वस्त्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह कि उक्त उपक्रम के स्वामी समवाय की वित्तीय स्थिति तथा उक्त उपक्रम के संयंत्र तथा मशीनों की दशा ऐसी है कि उपक्रम को पुनः चालू करना संभव है और उसे इस प्रकार पुनः चालू करना जनसाधारण के हित में आवश्यक है ;

अतः अब, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 85) की धारा 18कक की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा तमिलनाडु वस्त्र निगम (जिसे एतदोपरान्त “प्राधिकृत व्यक्ति” कहा जायेगा) को कोयम्बटूर स्थित उक्त संपूर्ण उपक्रम का प्रबंध अपने अधिकार में लेने के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

- (1) प्राधिकृत व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों का पालन करेगा ;

(2) प्राधिकृत व्यक्ति इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए पद धारण करेगा ;

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझेगी, तो उससे पूर्व भी इस प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति को समाप्त कर सकती है ।

2. यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से आरंभ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

[सं० फ० 9(10)/लाइ०पोलि०/72]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

